



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1943 (श०)

(सं० पटना 739) पटना, वृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2021

सं० 2@vkjki&01&14@2020-8222/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2021

श्री अल्लामा मुख्तार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 987/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा के विरुद्ध संचिकाओं के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों के लिए समाहरणालय, मधेपुरा के पत्रांक 581-2 दिनांक 24.08.2020 द्वारा गठित आरोप-पत्र (साक्ष्य सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री मुख्तार के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रतिवेदित आरोप निम्नलिखित है :-

आरोप-01 — श्री अल्लामा मुख्तार, वरीय उप समाहर्ता, समाहरणालय, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित है। कार्यालय आदेश ज्ञापांक 652/स्था० दिनांक 10.09.2018 द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा के दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश दिया गया। ये दिनांक 31.03.2020 तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा के प्रभार में रहे। उक्त अवधि में मुख्यमंत्री गली-नली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत आलम नगर प्रखंड के आठ पंचायतों में निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जाँच करने हेतु जाँच टीम गठित किया गया। जाँच टीम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अनियमितता पायी गयी। कार्यालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित किया गया। परंतु दिनांक 01.08.2019 से दिनांक 04.04.2020 तक बिना किसी कार्रवाई के संचिका अपने संरक्षण में रखा गया। इस संबंध में पत्रांक 725/पं० दिनांक 06.06.2020 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण किया गया एवं कार्यालय पत्रांक 763/पं० दिनांक 17.06.2020 एवं पत्रांक 339/पं० दिनांक 07.07.2020 द्वारा स्मारित भी किया गया। इनके द्वारा पत्रांक 67/नी०प० दिनांक 31.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो संतोषप्रद नहीं है।

आरोप-02 — प्रखंड कार्यालय कुमारखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव श्री अंजनी कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा श्री मुख्तार को को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया, संचालन पदाधिकारी के रूप में दिनांक 12.07.2019 से दिनांक 23.11.2019 तक सुनवाई की गई। इसके बाद न तो सुनवाई ही की गयी और न ही अधिगम/मंतव्य ही जिलाधिकारी को समर्पित किया गया तथा संचिका आधा-अधूरा जिला पंचायत कार्यालय को वापस कर दिया गया। इस संबंध में श्री मुख्तार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री मुख्तार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

आरोप-03 — माननीय लोकायुक्त से संबंधित मामले में 13 पंचायत सचिवों के विरुद्ध इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत लाभुकों को भुगतान की गई राशि के विरुद्ध आवास निर्माण पूर्ण करने में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के आरोप के लिए आरोप प्रपत्र 'क' के संचालन हेतु श्री अल्लामा मुख्तार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा के दायित्वों से मुक्त होने के पश्चात् आधा-अधूरा अभिलेख वापस कर दिया गया। जबकि सभी मामले लोकायुक्त से संबंधित थे। इस संबंध में श्री मुख्तार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री मुख्तार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

आरोप-04 — कुमारखंड प्रखंड में इसराईकला ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री गली-नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत श्री नवल किशोर चौधरी, तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा स्वयं एवं अन्य के नाम से 3847000 (अड़तीस लाख सैतालिस हजार) की निकासी अवैध तरीके से करने से संबंधित संचिका में दो माह बाद आधा-अधूरा टिप्पणी अंकित कर बिना हस्ताक्षर के संचिका कार्यालय को वापस कर दिया गया। इस संबंध में श्री मुख्तार से स्पष्टीकरण किया गया।

श्री मुख्तार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है।

आरोप-05 — श्री अल्लामा मुख्तार, वरीय उप समाहर्ता, समाहरणालय, मधेपुरा जिला निलाम पत्र के भी प्रभार में है। माननीय लोकायुक्त, पटना के पत्रांक 768/लोक दिनांक 23.01.2020 से प्राप्त परिवाद सं०-01/लोक (शिक्षा) 343/2019 में दर्ज श्री बलराम यादव के विरुद्ध जाली प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक पद पर कार्यरत अवधि के वेतनादि मद में दी गई राशि वसूली के संबंध में निलाम पत्र वाद चल रहा है तथा अभी तक राशि वसूली नहीं की गई है। इस संबंध में लोकायुक्त कोषांग, मधेपुरा के पत्रांक 28/लोक दिनांक 20.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया, तथा पत्रांक 50/लोक दिनांक 23.06.2020 द्वारा स्मारित भी किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि जानबूझकर गलत मंशा से संचिका को निष्पादित नहीं किया गया।

विभागीय पत्रांक 8881 दिनांक 28.09.2020 द्वारा श्री मुख्तार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय स्तर से स्पष्टीकरण की गयी। श्री मुख्तार के पत्रांक-कैम्प-0 दिनांक 11.11.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मुख्तार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत गली-नाली योजना जिला पंचायत के कार्यालय के अन्तर्गत थी। इनके द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी रहते हुए मधेपुरा जिला इस योजना में राज्य में अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। जिला अन्तर्गत भी सात निश्चय के अन्य कार्यक्रमों में जिला पंचायत शाखा अग्रिम था। जिला पंचायत कार्यालय शाखा से प्रत्येक माह 100 से अधिक पत्र निर्गत होते थे, जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में इनके द्वारा अचल सम्पत्ति का निलामी कर नई कृतिमान स्थापित की थी। श्री मुख्तार ने अपने विरुद्ध सभी आरोपों को आधारहीन बताया।

विभागीय पत्रांक 1278 दिनांक 29.01.2021 द्वारा श्री मुख्तार के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 390-2 दिनांक 18.06.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का कहना है कि :—

आरोप संख्या-1 में जिला पदाधिकारी का मंतव्य — आलमनगर प्रखंड अन्तर्गत मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत 8 पंचायतों में निर्माण कार्य के भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु गठित जाँच टीम द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पायी गयी अनियमितता के लिए कार्रवाई करने संबंधी संचिका 8 माह तक बिना किसी टिप्पणी के अपने पास रखना कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। **अतः स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।**

आरोप संख्या-2 में जिला पदाधिकारी का मंतव्य — संचालन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागीय कार्रवाई का सुनवाई कर अपने मंतव्य के साथ अभिलेख उच्चाधिकारी के समक्ष उपस्थापित कर दिया जाय। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह कहना कि संचिका कार्यालय सहायक द्वारा उपस्थापित नहीं करने के कारण संचिका निष्पादित नहीं किया गया। **इनका जवाब आधारहीन तथा तथ्य से परे है।**

आरोप संख्या-3 में जिला पदाधिकारी का मंतव्य — संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागीय कार्रवाई का सुनवाई कर अपने मंतव्य के साथ अभिलेख उच्चाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया। **अतः स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।**

आरोप संख्या-4 में जिला पदाधिकारी का मंतव्य — मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना के तहत पंचायत सचिव द्वारा राशि गबन किये जाने संबंधी मामले को तुरंत जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं लाया गया। **अतः स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।**

आरोप संख्या-5 में जिला पदाधिकारी का मंतव्य — चूँकि मामला लोकायुक्त से संबंधित रहने के कारण इसका निष्पादन ससमय करना आवश्यक था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। **अतः स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।**

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री मुख्तार के विरुद्ध गठित आरोपों, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा समर्पित मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मुख्तार के विरुद्ध संचिकाओं के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लेने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने संबंधी आरोप गंभीर प्रशासनिक प्रकृति के हैं। इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अपने वरीय पदाधिकारी के विरुद्ध ही दोषारोपण करने की कोशिश की गई है। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा समर्पित मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार प्रतिवेदित किया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री मुख्तार को आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल कृत्य करने का दोषी पाया गया। श्री मुख्तार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त मंतव्य से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सहमति जतायी गयी है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मुख्तार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अल्लामा मुख्तार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 987/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20),

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 739-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>